## 1/

## न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या....5.०.७.. / 2023

14.09.2013

आवेदिका श्रीमती मीरा देवी पति श्री सुनिल कुमार ठाकुर, साकिन—बजरंग नगर, पोस्ट—झुमरी तिलैया, थाना— तिलैया, जिला— कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :—

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	किस्म
मेारियाँवा	02	30	2784	10 डी0	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक ................................/ 2023 को प्रस्तुत करें।

> अंचल अधिकारी, कोडरमा।

21.09.2023

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपित नहीं की गयी है। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा—मोरियावा, थाना नं0—02, खाता सं0—30 प्लॉट, सं0—2784, रकवा—10 डी0 भूमि पंजी—II के पृष्ठ संख्या—88 भाग संख्या—21 पर श्रीमती मीरा देवी पति श्री सुनिल कुमार ठाकुर के नाम से ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में दा0 खा0 वाद सं0—3422/2018—19 दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2023—24 तक निर्गत है। उक्त भूमि केवाला सं0—2558 दिनांक —15.09.2017 द्वारा हासिल है। भूमि रैयती खाते की है। शपथ पत्र संख्या—09 दिनांक 06.07.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Billar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपित्त होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

अंचल अधिकारी, कोडरमा